


भारत का पत्रिका
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2
PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 11, 1982/खण्ड 21, 1904
No. 10] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 11, 1982/JYAIST:IA 21, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

नौबहन और परिवहन मंत्रालय

(नौबहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 1982

फा० सं० पी० डब्ल्यू०/पी०ई०ओ०-36/82—महापत्तन न्याय अधिनियम, 1963 (1963 का 38)
की धारा 24 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (iii) द्वारा प्रयुक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,
केन्द्रीय सरकार, उक्त उपखंड के प्रयोजनों के लिए, बम्बई और कलकत्ता के न्यायियों के बोर्डों
के अधीन पदों के लिए 2800 रु० (दो हजार आठ सौ रु०) तथा अन्य पत्तन न्यायियों के बोर्डों

के प्रकीर्ण पदों के लिए 2500 रु० (दो हजार पांच सौ रु०) रुपये के प्रतिरिक्त अधिकतम बेतनमान के रूप में निर्धारित करती है।

दिनेश कुमार जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 1982

F. No. PW/PEO-36/82.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (1) of section 24 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby fixes Rs. 2,800 (Rupees two thousand and eight hundred only) in case of posts under the Boards of Trustees of the Ports of Bombay and Calcutta and Rs 2,500 (Rupees two thousand and five hundred only) in case of Boards of Trustees of the other Ports as the maximum of the pay scales (exclusive of allowances) for the purposes of the said sub-clause.

D. K. JAIN, Jt. Secy.